तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्ड-पीठ **श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अभिभाषक **दिनांक : 15 नवम्बर, 2018** **निर्णय** यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-9-2002 के प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम खिवाड में स्थित आराजी खसरा नम्बर-261 एवं खसरा नम्बर-391 व 392 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। यह आराजी वक्त जागीर से वादीगण / अपीलान्ट की खुदकाश्त की मिलकीयत रही है। जागीर रिजम्शन के समय यह भूमि उनकी निजी सम्पत्ति रही है एवं रेस्पोन्डेन्ट ने भी ऐसा ही माना है। स्वर्गीय ठाकुर गोपालसिंह जी ने इस भूमि को अपीलान्ट की होना स्वीकार किया है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन लाटा दर्ज होने से आये दिन अपीलान्ट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करना पडा। राजस्थान सरकार ने विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा एवं स्वामित्व स्वीकार करते हुये अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये अपना जवाब दावा पेश किया। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बाली ने बिना तनकियात कायम कर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिकार्ड को नहीं देखते हुये वादीगण का दावा खारिज किया है। जिसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की। जो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-9-2002 द्वारा खारिज कर दी गयी। यह द्वितीय अपील इसी निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बाली ने अपने आदेश दिनांक 30-8-2001 में यह आदेशित किया है वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा इमबा-391 रकबा .18 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिसकी किस्म गैर मुमकिन लाटा दर्ज है। इस तथ्य को स्वयं वादीगण ने अपने वाद पत्र में एवं अपनी बहस के दौरान स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण धारा-88, 89 के तहत खातेदारी घोषणा का वाद था जिसमें वादी का यह दायित्व था कि वह वाद को सिद्ध करता कि विवादित भूमि की खातेदारी किस हैसीयत से प्राप्त करना चाहता है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन लाटा है जिसका उपयोग खलियान के रूप में होता है। लाटा की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जिसका उपयोग सभी गांव वालों द्वारा अपनी फसलों को अवेरने के रूप में किया जाता है। वादीगण ने विवादित भूमि को परसनल प्रोपर्टी होने का कथन जरूर किया है परन्तु इस हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं यदि विवादित भूमि परसनल प्रोपर्टी थी तो जागीर रिज्युम के समय ने वादीगण को इनके हक अधिकार मिल जाते हैं। इस प्रकार वादीगण ने किन आधारों पर विवादित भूमि की खातेदारी चाही है, ऐसा वाद पत्र से विदित नही होता है एवं साथ ही गैर मुमकिन लाटा किस्म की भूमि को खातेदारी देने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन प्रावधानों में है, यह बताने में वादी पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। अतः वादीगण द्वारा मौजा खीमाडा के हाल खसरा संख्या-391 रकबा .18 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन लाटा के संबंध में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वाद वादीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश की अपील विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, पाली के यहां किये जाने पर इन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-9-2002 में यह आदेशित किया है कि विवादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक अंकित होकर गैर मुमकिन लाटा वर्ग की है। लाटा वर्ग से सम्बन्धित भूमि वह होती है जहां सार्वजनिक रूप से भूमि की फसल को इक्टठा कर जिन्स को अलग करते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 में अंकित बिन्दू संख्या-6 के अनुरूप भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं लोक उपयोगिता की होने से उस पर इस धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर यह अवधि 30 वर्ष है। खसरा परिवर्तनशील की सत्य प्रतिलिपियां प्रदर्श-5, 6 व 7 से विवादित भूमि पर श्री पदम सिंह पुनरावेदक का कब्जा संवत 2046 से 2053 मात्र 8 साल का होना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पर पर्याप्त कब्जे की अवधि के अभाव में प्रतिकूल कब्जे की बात पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है एवं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात बनाये ही निर्णय पारित किया गया है जिससे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु परीक्षण न्यायालय को लौटा देना चाहिये था। अपीलान्ट विवादित भूमि का खुदकाश्त एवं स्वामी होने से विवादग्रस्त आराजीयात का धारा-13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा-16 जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत स्वतः ही खातेदार हो गया था। राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम खातेदारी इन्द्राज नहीं करने से वादीगण को वाद पेश करना पडा। जबकि वादीगण आराजी का खातेदार या स्वामी रह चुका था। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पूर्व राजस्व रिकार्ड को बदलने का अधिकार नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 प्रार्थीगण की खुद काश्त एवं निजी भूमि के नाते लागू नहीं होती है। अतः उनकी अपील को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के जवाब में बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म गैर मुमकिन लाटा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी भूमियों की खातेदारी नहीं दी जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिसम्मत है। अतः उनकी अपील को खारिज किया जावे। हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात की किस्म गैर मुमकिन लाटा है और गैर मुमकिन लाटा की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है जिस पर काश्तकार अपनी फसलों को खलियान के रूप में काम में लेते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत है, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रहती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य** **(वी. श्रीनिवास)** **अध्यक्ष**	

अपील डिक्री / टी.ए. / 6986 / 2002 / पाली
पदम सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए